



Neutral Citation-2026: AHC:20767

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 3156 वर्ष 2026

दयाशंकर यादवयाचिकाकर्तागण
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 23 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता: लक्ष्मी पति, पवन कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालाँकि, यदि विरोधी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/बदलाव की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 3, यानी उप-विभागीय अधिकारी, फूलपुर, जिला प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ता द्वारा केस संख्या 12512/2025, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या T202502030212512 (श्रीमती रामरती और अन्य बनाम ग्राम सभा और अन्य) में उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत दायर बहाली आवेदन (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 5) दिनांक 23.07.2025 पर, एक निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लें।

4. यह तर्क दिया गया है कि यह मामला जुलाई, 2025 से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है; अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गईं और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का अंतिम रूप से निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3, यानी उप-विभागीय अधिकारी, फूलपुर, जिला प्रयागराज, उपर्युक्त आवेदन पर कानून के अनुसार शीघ्रता से विचार करें और निर्णय लें। यह निर्णय अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना—बशर्ते इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"